# झारखण्ड सरकार
## स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
## (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

# आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा एल.पी.ए. संख्या–175/2017, 199/2017 एवं एल.पी.ए. संख्या–186/2017 तथा अन्य सदृश्य वादों में पारित न्यायादेशों के अनुपालन हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–1632, दिनांक 05.09.2012 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के आधार पर विज्ञापित पदों के विरूद्ध की गई पूर्व की नियुक्तियों के पश्चात् शेष बचे रिक्त पदों पर एकबारगी अंतिम अवसर के रूप में कांउसिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

1) माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के अनुरूप यह कांउसिलिंग पूर्व में वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए प्रकाशित विज्ञापनों में निहित शर्तों के अधीन ही प्रारंभ की जा रही है।

2) जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी। जिला स्तर पर व्यवस्थित कांउसिलिंग निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सम्पन्न कराने का दायित्व मुख्यतः जिला शिक्षा स्थापना समिति के अध्यक्ष – संबंधित जिले के उपायुक्त तथा सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधीक्षक का होगा।

3) पूर्व की नियुक्तियों के वाद श्रेणीवार रिक्तियों को संबंधित जिले के वेबसाईट पर जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदन से सूची प्राकशित कर आपत्ति का निराकरण कर अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित करना।

1.5.19

4) पूर्व में आवेदक जिस श्रेणी में आवेदन कर चुके है जो सूचना दी जा चुकी है, वह अंतिम होगी। नये सिरे से कोई नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। नये किसी नियुक्ति हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5) औपबंधिक मेधासूची में नाम प्रकाशित किये जाने मात्र से नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। नियुक्ति मेधा क्रमांक के अनुसार उपलब्ध रिक्त विज्ञापित पदों पर ही विचारणीय होगी।

6) पूर्व में किसी जिले में नियुक्त अभ्यर्थी का आवेदन विचारणीय नहीं होगा। इस कांउसिलिंग में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में नियुक्त शिक्षक तथा पूर्व में आयोजित कांउसिलिंग अंतर्गत वर्ग 1 से 5 अथवा वर्ग 6 से 8 के पारा अथवा गैर-पारा श्रेणी में भाग लिये अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं परन्तु न्याय निदेश से आच्छादित अभ्यर्थी कांउसिलिंग में भाग लेंगे। ऐसे अभ्यर्थी रिक्ति के दोगुना प्रकाशित औपबंधिक सूची में नहीं आने के बावजूद भी वाद से संबंधित जिला में भाग ले सकते है।

7) (i) पूर्व में कांउसिलिंग के लिए आमंत्रित अभ्यर्थी (चाहे कांउसिलिंग में भाग लिया हो या नहीं) को आमंत्रित नहीं किया जायेगा तथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) कंडिका 7(i) का अपवाद मात्र ऐसे अभ्यर्थी होंगे झारखण्ड शिक्षा परियोजना के अधीन डी.पी.ई. धारी पारा शिक्षक होंगे, अगर उनको अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया। ऐसे अभ्यर्थी को कांउसिलिंग में आमंत्रित किया जाय।

(iii) कंडिका 7(i) का दूसरा अपवाद वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका की थी, वैसे अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाय। अथवा प्राप्त आवेदन पर मेरिट के अनुरूप विचार किया जाय।

8) (i) कांउसिलिंग में भाग लेने के पूर्व अभ्यर्थी अपने अभ्यर्थित्व के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही निर्धारित कांउसिलिंग की तिथि को पूर्व में समर्पित किये गये सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों (किसी प्रकार के जाति/आवासीय/आरक्षण के लाभार्थ) इत्यादि की मूल प्रतियों

2.5.19

के साथ भाग लेंगे। इसकी स्वहस्ताक्षरित एक प्रति भी लेकर आएंगे। कांउसिलिंग में मूल प्रमाण–पत्र जमा कर ली जाएगी।

(ii) कांउसिलिंग के समय संलग्न विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र नोटराईज करा कर प्रस्तुत करना होगा।

(iii) कांउसिलिंग में भाग लेने हेतु इसके साथ संलग्न शपथ–पत्र एवं सभी वांछित मूल प्रमाण–पत्र के साथ आना होगा. मात्र पूर्ण डाक्यूमेंट वाले अभ्यर्थी पर कांउसिलिंग में विचार होगा।

(iv) कांउसिलिंग के आवेदन में उक्त के अतिरिक्त अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय का न्यायादेश होगा, उसकी प्रति भी आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(v) इस कांउसिलिंग में भाग नहीं लेने वाले अभ्यर्थी के किसी दावे पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(vi) फर्जी प्रमाण–पत्रों के साथ भाग लेने वाले अभ्यर्थिरूों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। यह निर्णय संबंधित जिला स्थापना समिति द्वारा लिया जायेगा।

9) (i) कांउसिलिंग में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

(ii) कांउसिलिंग हेतु मूल प्रमाण–पत्र निर्धारित तिथि तक ही प्राप्त होगा।

(iii) सक्षम प्राधिकार प्रमाण–पत्रों की जाँच अन्य दिनों तक कर सकेगा।

10) चूँकि एक अभ्यर्थी के अन्य जिलों में भी आवेदन किये जाने के कारण उनका नाम अन्य जिलों की औपबंधिक मेधा सूची में प्रकाशित है एवं कांउसिलिंग में मूल प्रमाण–पत्र जमा लिये जायेगें जिसे कोई भी अभ्यर्थी एक जिला के एक ही कोटि (पारा एवं गैर–पारा) में भाग ले सकते है। ऐसे में यह उनके स्वविवेक पर निर्भर करेगा कि वह

किस जिले एवं किस कोटि की कांउसिलिंग में भाग लेंगे। अपने स्वविवेक से किसी जिला या कोटि की उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं।

11) (i) इस कांउसिलिंग में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2015-16 में की गई नियुक्तियों के पश्चात् शेष रिक्त पदों के 2 गुणा अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधासूची जिलों के वेबसाईट www.bokaro.nic.in, www.jamshedpur.nic.in, www.hazaribagh.nic.in, www.giridih.nic.in, https://loharda.nic.in/, www.godda.nic.in, www.gumla.nic.in, www.chaibasa.nic.in, www.seraikela.nic.in, www.jamtara.nic.in, www.ramgarh.nic.in, www.palamu.nic.in, www.simdega.nic.in, www.garhwa.nic.in, www.latehar.nic.in, www.dumka.nic.in पर प्रकाशित की जायेगी अर्थात- सभी जिलों के www.district.nic.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ii) कांउसिलिंग का स्थान जिलों के वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी नियमित रूप से इसे देख सकेंगे। यह दायित्व अभ्यर्थी का होग।

(iii) अभ्यर्थी अपना ई-मेल आई.डी. तथा मोबाईल नं. भी आवेदन के साथ अंकित कर देंगे ताकि 11(ii) के साथ-साथ सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके।

12) कांउसिलिंग का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया गया है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | सभी जिला द्वारा संशोधित सूची जारी किया जाना | - | 15 मई 2019 |
| (ख) | संशोधित सूची पर आपत्ति प्राप्त करना | - | 22 मई 2019 |
| (ग) | प्राप्त आपत्ति का निराकरण | - | 30 मई 2019 |
| (घ) | सभी जिला द्वारा कांउसिलिंग का कार्य करने हेतु निर्धारित तिथि (केवल मूल प्रामण-पत्र प्राप्त करने के लिए) | - | 3 जून 2019 (समय प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे या उपलब्ध अभ्यर्थियों के समाप्त होने तक) |

22
2.5.19

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ड.) | मूल प्रमाण-पत्र का मिलान, जाँच एवं मेधा क्रमांक का सत्यापन | - | 7-12 जून 2019 |
| (च) | जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन प्राप्त करना। | - | 10-15जून 2019 |
| (छ) | नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित तिथि | - | 13-21 जून तक 2019 |
| (ज) | अचयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्र को वापस करना | - | 24 जून 2019 से 30 जून 2019 |
| (झ) | संपूर्ण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना | - | 24 जून से 30 जून 2019 तक |

13) इस चरण की कांउसिलिंग के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को एक ही समव्यवहार के कारण पूर्व में नियुक्त शिक्षकों के समान वरीयता एवं वेतनमान देय नहीं होगा। इस उप समव्यवहार में चयनित अभ्यर्थी इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2019 होगी।

14) विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-663, दिनांक 02.05.2019 से निर्गत नियमावली संशोधन तथा संकल्प ज्ञापांक 662, दिनांक 02.05.2019 भी वेबसाईट पर देखा जा सकता है। इसके अंकित शर्तें पूर्णतः प्रभावी होगी।

15) कतिपय एल.पी.ए 185/2017 एवं 175/2017 में पारित आदेश की प्रति भी वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्त तिथियों को संशोधित करने की शक्ति निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पास अंतर्निहित है। लेकिन कांउसिलिंग की तिथि में कोई प्रविर्त्तन नहीं किया जायेगा। व्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण कांउसिलिंग सम्पन्न कराने के लिए विभागीय पत्रांक- 665, दिनांक 02.05.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किया गया है।

2.5.19

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

**शपथ–पत्र**

**(पारा कोटि के आवेदकों के लिए)**

**(कांउसिलिंग में भाग लेने के लिए)**

मैं.........................................................................पिता/पति.......................................
....................................ग्राम.................................................. पो०....................................थाना..........
..................................जिला...........................राज्य................................................पिन–....................
.निम्नलिखित तथ्यों/अभिलेखों के साथ .......................................जिले के कांउसिलिंग में भाग ले रहा हूँ/ रही हूँ तथा इस संबंध में निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं इकरार करता हूँ/करती हूँ –

1. *यह कि मैं झारखण्ड राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिनांक..................................से दिनांक..........................तक पारा शिक्षक के रुप में विद्यालय..........................................................प्रखण्ड.........................जिला................................. में कार्यरत रहा हूँ/रही हूँ। मेरे चयन पर संबंधित प्रखण्ड शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है एवं कोई भी सरकारी राशि मेरे जिम्मे बकाया नहीं है। (संविदा /ऑफर पत्र की छायाप्रति संलग्न)।*

2. *यह कि मेरे द्वारा वर्ष.....................में इग्नू एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये डी.पी.ई. के प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त किया गया है।*

3. *मेरा/मेरी जन्म तिथि.................है। विज्ञापन में प्रकाशित कट–ऑफ दिनांक.............................को मेरा/मेरी आयु...................है।*

4. *यह के मेरे द्वारा मैट्रिक / इंटरमीडियट / स्नातक / स्नात्तकोत्तर/ शिक्षक प्रशिक्षण / शिक्षक पात्रता परीक्षा में निम्नलिखित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्णता प्राप्त की गई है। जिसका अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र संख्या निम्नवत् है :–*

| क्र. सं. | परीक्षा का नाम | रोल कोड एवं रोल नं. | बोर्ड/विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम | कुल प्राप्तांक | प्राप्त अंक | प्रमाण–पत्र संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

5. यह कि मैंने राज्य के किसी जिले में आयोजित पूर्व कांउसिलिंग में भाग नहीं लिया है और मेरा चयन किसी जिले में नहीं हुआ है। मैं वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में की गई नियुक्ति के क्रम में किसी जिले में नियुक्त/कार्यरत नहीं हूँ।

6. यह कि मेरे द्वारा समर्पित जाति/आवासीय/निःशक्तता/प्रमाण-पत्र एवं वांछित प्रमाण-पत्र सही है।

| क्र.सं. | प्रमाण-पत्र का नाम | निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम | प्रमाण-पत्र संख्या/निर्गत की तिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |

7. यह कि मेरा मामला डब्लू.पी.(एस.) संख्या ...../(एल.पी.ए.) संख्या..... में पारित न्याय निदेश दिनांक..... से आच्छादित है/नहीं आच्छादित है।

8. *यह कि उपरोक्त अंकित सूचना एवं तथ्य त्रुटिपूर्ण तथा गलत/असत्य पाये जाने पर नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि बगैर पूर्व सूचना के मेरा चयन एवं नियुक्ति रद्द कर सकता है। इसके आधार पर नियोक्ता द्वारा मेरे विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा दायर किया जा सकता है।*

9. *यह कि माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निदेश के आलोक में वर्ष 2015-16 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या.....के शर्तो के अनुसार नियुक्त किये जाने पर सहमत होते हुए भविष्य में पूर्व समव्यवहार के आधार पर वेतनमान एवं वरीयता की मांग मेरे द्वारा नहीं की जायेगी। इस कारण वर्ष 2019 का भर्ती वर्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं है।*

10. *यह कि शपथ-पत्र उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने हेतु पूर्ण होशो-हवास में मेरे द्वारा समर्पित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं स्वंय जिम्मेवार होऊंगा/होऊंगी।*

***नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।***

***शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर***

शपथकर्त्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर बनाये हैं।

***अधिवक्ता का हस्ताक्षर***

**शपथ-पत्र**

**(गैर-पारा कोटि के आवेदकों के लिए)**

**(कांउसिलिंग में भाग लेने के लिए)**

मैं.....पिता/पति.....

.....ग्राम..... पो०.....थाना.....

.....जिला.....राज्य..... .....पिन-.....निम्नलिखित

तथ्यों/अभिलेखों के साथ .....जिले के कांउसिलिंग में भाग ले रहा हूँ/ रही हूँ तथा इस संबंध में निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं इकरार करता हूँ/करती हूँ -

1. *यह कि मैं झारखण्ड राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिनांक.....से दिनांक.....तक पारा शिक्षक के रूप में विद्यालय..... .....प्रखण्ड..... ...जिला..... में कार्यरत रहा हूँ/रही हूँ। मेरे चयन पर संबंधित प्रखण्ड शिक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है एवं कोई भी सरकारी राशि मेरे जिम्मे बकाया नहीं है (संविदा /ऑफर पत्र की छायाप्रति संलग्न)।*

***अथवा***

*यह कि मैं झारखण्ड राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पारा शिक्षक के रूप में मैं कार्यरत नहीं हूँ।*

2. *यह कि मेरे द्वारा वर्ष.....में इग्नू एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये डी.पी.ई. के प्रशैक्षणिक योग्यता प्राप्त की गई है।*

***अथवा***

*मेरे द्वारा विज्ञापन के शर्तों के अनुसार वांछित नियमित प्रशिक्षण .....महाविद्यालय से प्राप्त किया गया जिसका एन.सी.टी.ई. मान्यता प्राप्त है।*

3. *मेरा/मेरी जन्म तिथि.....है। विज्ञापन में प्रकाशित कट-ऑफ दिनांक.....को मेरा/मेरी आयु.....है।*

4. *यह के मेरे द्वारा मैट्रिक / इंटरमीडियट / स्नातक / स्नात्तकोत्तर/ शिक्षक प्रशिक्षण / शिक्षक पात्रता परीक्षा में निम्नलिखित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से उत्तीर्णता प्राप्त की गई है। जिसका अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र संख्या निम्नवत् है :-*

| क्र. सं. | परीक्षा का नाम | रोल कोड एवं रोल नं. | बोर्ड/विश्वविद्यालय /संस्थान का नाम | कुल प्राप्तांक | प्राप्त अंक | प्रमाण–पत्र संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

5. यह कि मैंने राज्य के किसी जिले में आयोजित पूर्व काउंसिलिंग में भाग नहीं लिया है और मेरा चयन किसी जिले में नहीं हुआ है। मैं वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में की गई नियुक्ति के क्रम में किसी जिले में नियुक्त/कार्यरत नहीं हूँ।

6. यह कि मेरे द्वारा समर्पित जाति/आवासीय/निःशक्तता/प्रमाण–पत्र एवं वांछित प्रमाण–पत्र सही है।

| क्र.सं. | प्रमाण–पत्र का नाम | निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम | प्रमाण–पत्र संख्या/निर्गत की तिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |

7. यह कि मेरा मामला डब्लू.पी.(एस.) संख्या ...../(एल.पी.ए.) संख्या..... में पारित न्याय निदेश दिनांक..... से आच्छादित है/नहीं आच्छादित है।

8. *यह कि उपरोक्त अंकित सूचना एवं तथ्य त्रुटिपूर्ण तथा गलत/असत्य पाये जाने पर नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि बगैर पूर्व सूचना के मेरा चयन एवं नियुक्ति रद्द कर सकता है। इसके आधार पर नियोक्ता द्वारा मेरे विरुद्ध अपराधिक षड़यंत्र का मुकदमा दायर किया जा सकता है।*

9. *यह कि माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निदेश के आलोक में वर्ष 2015–16 में प्रकाशित विज्ञापन संख्या.....के शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने पर सहमत होते हुए भविष्य में पूर्व समव्यवहार के आधार पर वेतनमान एवं वरीयता की मांग मेरे द्वारा नहीं की जायेगी। इस कारण वर्ष 2019 का भर्ती वर्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं है।*

10. *यह कि शपथ–पत्र उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने हेतु पूर्ण होशो–हवास में मेरे द्वारा समर्पित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं स्वंय जिम्मेवार होऊंगा/होऊंगी।*

***नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।***

*शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर*

शपथकर्त्ता ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर बनाये हैं।

*अधिवक्ता का हस्ताक्षर*

2.5.19